

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022

चर्चा में क्यों?

31 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 28 की वदियमान उपधारा (7-क) हटाई गई है।

प्रमुख बदि

- अधिसूचना में हटाई गई धारा से कोई भी व्यत्त अब संचालक मंडल में लगातार दो से अधिक अवधि के लिये नरिवाचति हो सकेगा। इससे सहकारी समतियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मल्लेगी।
- वदिति है कि 20 सतिंबर, 2022 को राजस्थान वधिनसभा ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) वधियक, 2022 को ध्वनमित से पारति कयिा था।
- वधियक में सहकारी समतियों के दक्ष कार्यकरण के लिये लंबी सेवा वाले एवं अनुभवी सदस्यों की भागीदारी सुनश्चिति करने की दृष्टि से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 की उप धारा (7-क) को हटाया गया था।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) की धारा 28 की वदियमान उप-धारा (7-क) यह उपबंध करती थी कि कोई भी व्यत्त समति के सदस्य के रूप में नरिवाचन के लिये पात्र नहीं होगा, यदविह राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 11) के प्रारंभ के पश्चात् उसी सोसाइटी की समति के सदस्य के रूप में लगातार दो बार के लिये नरिवाचति या सहयोजति कयिा जा चुका है, जब तक कि ऐसी समति के सदस्य के रूप में उसका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो चुकी है।